यायालय राहसालदार वृत धारपुरा तहसाल इन्दरगढ़, जिला दतिया (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी–प्रकाश परिहार)
तहसीलदार तहसील-इन्दरगढ
e179 क के का
manufacture of the second seco
कि रवस्री तह क्रियां
1 3 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
रानील कुगार ६० रागस् वक्तभू मीवास्तव
- Marine Marine Andrew Company of the Company of th
कित्र प्राप्त प्राप्त /// आदेश/// ।
अदेश दिनांक 28 0) है।
जाति
में स्थित भूमि सर्वे नम्बर ८ ८
रक्बा 🔾 🗓 है। में से अपने हिस्सा रक्बा 🗘 🗥 हे। में से स्टिन रहता 🗘 ११। है। से से स्टिन रहता 🗘
स्वामी विकेता/बिकेतागण प्रिति
ानवासा/ग्राम से रंजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक १००० ० ००० क्या है। अतः
2/ आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में रिजिय्टर्ड विकार एवं वाटोक्ट अपि की जनगर उन्हें करक क
अस्त राजा राजा राजा राजा का शाय पत्र एवं कथन पस्तत किया है।
3/ प्रकरण विधवत अ-6 मद में दर्ज कर विचापित का प्रकाशन किया गया। गया अवस्थि में उने 🛠 🗪 🛶 🛶
541
4/ पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में विकेता/बिकेतागण र्जाती क्या पिता/पति क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में
5/ प्रकरण की सूक्ष्म समीक्षा की गयी। जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि विकेता/बिकेतागण राज्य किसके नाम पर देज है।
राजस्व निरीक्षक वृत धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़ में स्थित भूमि सर्वे नम्बर
किता 🔼 कुल रकबा 🗘 💯 हैं। में से अपने हिस्सा रकबा 🗘 💯 हैं। में से बिकित रकवा 🗘 💯 हैं। रिजस्टर्ड
पिता/पित स्टेश्न जाति
त्ररपुर गर्भ पर गर्भ जर्म जपरायत राजस्टिङ विक्य पत्र के अधिर पर बोद्दिक्त भाम का नामातरण किया जाना उन्नित एतीत होता
61
6/म0प्र0 मू—राजस्व संहिता में प्रावधानित किया गया है कि नामांतरण की कार्यवाही राजस्व तो स्वत्व अर्जित होता है और न ही स्वत्व समाप्त है नामांतरण का मूल उदेश्य स्वत्व का अर्जन न होकर विधि पूर्वक अर्जित स्वत्व को मान्यता प्रदान करना है जैसा
क निम्न न्याय दृष्टाता म प्रतिपादित किया गया है, (कशव प्रसाद बनाम रजनाबाई 1991 रानि 2002 सम्बदेव कॉटन केस उनम
१८८ अफ एम.पा. 1995 रा.ान., 100, रध्वार सिंह बनाम अमर सिंह 1975 रा.नि. 21. बालाघाट बनाम प्रेमनारायण 1999 जानि 2011
साथ ही राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही आबध्दकारी होती है तथा रजिस्टर्ड विलेख की वैधता की जॉच राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। उक्त संबंध में निम्नांकित न्याय दृष्टांत-8-रज्जो (श्रीमती) वि.
पुष्पलेता २०११ रा.न. १९३१) अवलोकनाय है।
7/ अतः उपरोक्त न्याया दृष्टांतो एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो के आधार पर म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 व
110 के अंतर्गत आवेदक अपना आवेदन-पत्र सिद्ध कराने में सफल रहा है तथा ग्राम क्रिकार्य राजस्व निरीक्षक वृत धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़ में स्थित भूमि सर्वे नम्बर
कल किता Ω_{\perp} कल रकबा $\Omega_{\perp} = 0$ में से अपने हिस्सा रकबा $\Omega_{\perp} = 0$ है। में से विकित रहना $\Omega_{\perp} = 0$
विकेता/बिकेतागण रहा कि प्रति पिता/पति अपने स्वर्धा जाति का पर किता/केतागण हो। पर
पिता/पति
पिता/पति जाति जाति निवासी/ग्राम रति जाति तहसील जिला जिला का नाम वर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जाता है। शेष
सह खातेदारों को हिरेसा पूर्ववत यथावत रहेगा । यदि उक्त भूमि का कृषि भिन्न आशय में उपयोग हो रहा हो तो संबंधित पटवारी सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदन देवे ताकि अवैध कॉलोनी का निर्माण न हो।
रिजस्टर्ड विकय विलेख में उक्त भूमि कहीं भी रहन, विकी या अधिगृहण या जमानत आदि में नहीं है, और नहीं कृषि खातों की
अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 तथा म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की घारा 165 के अंतर्गत विकय वर्जित नहीं है, एवं भू पंजीयन की घारा 22 के उल्लंघन नहीं होता है। विकय की गयी भूमि देवस्थान या भूदान या शासकीय पट्टे की नहीं है। यदि भविष्य में
उक्त भूमि के विकय में उक्त निर्देशों / अधिनियम का उल्लंघन होना सिद्ध हुआ तो यह सहिता की धारा 32 के तहत न्यायालय से
कपट किया होना मान्य कर आदेश स्वमेव शून्य मान्य होगा। प्रवाचक आदेश की छायाप्रति तत्काल पटवारी को प्रदाय कर सात दिवस में राजस्व अभिलेख में अमल कराना सुनिश्चित करें।
अवायक आदर्श का छायाप्रात तत्काल पटवारा का प्रदीय कर सीत दिवस में राजस्व आमलख में अमल कराना सुनाश्चत करे। अमल पूर्व पटवारी बंदोबस्त खतौनी से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि उक्त भूमि शासकीय/पट्टे की नहीं है और न ही किसी
बैंक में बंधक है। तरोपरांत अमल करें अन्यथा की रिथति में न्यायालय तहसीलदार को अवगत करावे। प्रवाचक अमल उपरांत अमल
की हुई खसरा की नकल प्रकरण में संलग्न करने के उपरांत प्रकरण अभिलेखागार में जमा करावे। प्रवाचक आदेश का तत्परता से पालन सुनिश्चित करे।
(आदेश मेरे इस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 28/01/23 को जारी किया गया।)
(प्रकाश परिहार)
वृत-धीरपुरा तहसीलंदार